

2025 INSC 109

प्रतिवेद्यभारत का उच्चतम न्यायालय

सिविल अपीलीय अधिकारिता

सिविल अपील क्रमांक _____/2025

(विशेष अनुमति याचिका (सिविल) क्रमांक 1399/2025 से प्रोद्भूत)

रमेश बघेल

...अपीलार्थी

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य

...उत्तरवादीगण

निर्णयनागरत्ना, न्यायमूर्ति

स्वीकार किया गया ।

2. यह कहा जाता है कि मृत्यु सबके लिए समान है। हमें इस गंभीर सत्य के विषय में स्वयं को बार-बार स्मरण दिलाना आवश्यक है। परंतु वर्तमान प्रकरण दर्शाता है कि किसी ग्राम के निवासी की मृत्यु विभाजन को जन्म दे सकती है, जिसके कारण उच्चतम न्यायालय को उसके दफन स्थल पर निर्णय देने की आवश्यकता है।

3. अपीलार्थी एक शोक संतप्त पुत्र व एक पीड़ित वादी है। तृतीय पीढ़ी का ईसाई, अपीलार्थी न्यू अपोस्टोलिक चर्च से संबंधित है। उसका परिवार और पूर्वज कई पीढ़ियों से छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के दरभा तहसील के छिंदवाड़ा ग्राम के मूल निवासी हैं और महारा जाति या समुदाय से हैं। उसी छिंदवाड़ा ग्राम के मूल निवासी, अपीलार्थी के पिता, जो आस्थावान व्यक्ति थे एवं सन् 1986-87 से पादरी थे, का लंबी बीमारी व बुढ़ापे से पीड़ित होने के उपरांत दिनांक 7 जनवरी, 2025 को निधन हो गया। अपने जीवनकाल में, अपीलार्थी के पिता ने ग्राम के चर्च एवं अन्य स्थानों पर आयोजित प्रार्थनाओं का नेतृत्व किया तथा उनमें भाग लिया।

4. दुर्भाग्य से, एक संतान के रूप में अपीलार्थी का कर्तव्य एवं अपने पिता को अपने पैतृक ग्राम में एक सभ्य अंतिम संस्कार प्रदान करने की इच्छा अकस्मात बाधाओं से घिर गई, क्योंकि उसके साथी ग्रामीणों ने अपीलार्थी के परिवार को ग्राम के भीतर अपीलार्थी के मृतक पिता को दफनाने के विरुद्ध आपत्ति जताई एवं धमकी दी। ग्राम की सीमा के भीतर दफनाने पर यह आपत्ति अपीलार्थी को अपने पिता के पार्थिव शरीर को उनकी निजी स्वामित्व वाली कृषि भूमि में दफनाने से भी रोकती है। अपीलार्थी का प्रकरण यह है कि उसके बेहद हताश होने पर भी स्थानीय पुलिस ने अपीलार्थी के परिवार को बलपूर्वक शव को ग्राम से बाहर ले जाने को कहा। स्थानीय ग्राम पंचायत से भी कोई सहायता नहीं मिली। परिस्थितियों से विवश होकर एवं साथी रिश्तेदारों की सलाह पर अपीलार्थी के परिवार ने उसके पिता के शव को जिला अस्पताल व चिकित्सा महाविद्यालय, जगदलपुर के शवगृह में ले जाने की कार्यवाही की।

5. इन परिस्थितियों से व्यथित होकर, अपीलार्थी ने दिनांक 07.01.2025 को, प्रभारी आरक्षी केन्द्र-दरभा, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ एवं अनुविभागीय अधिकारी, तोकापाल, जिला बस्तर छत्तीसगढ़ को अपनी दुर्दशा का विवरण देते हुए पुलिस सुरक्षा व राज्य प्राधिकारियों से छिंदवाड़ा ग्राम के ईसाई दफन स्थल में शांतिपूर्ण दफन एवं अंतिम संस्कार सुनिश्चित करने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया।

6. राज्य प्रशासन से कोई सहायता प्राप्त नहीं होने पर, अपीलार्थी ने रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 125/2024 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की शरण ली तथा छत्तीसगढ़ राज्य को यह निर्देश देने की मांग की कि वह अपीलार्थी को अपने पिता को उसी स्थान पर दफन की स्वीकृति प्रदान करे, जहां उसके पूर्वजों को छिंदवाड़ा ग्राम में दफनाया गया था तथा इस हेतु पुलिस सुरक्षा की भी मांग की।

7. यह विचार करने योग्य है कि रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, 'बारहपाल छिंदवाड़ा ग्राम पंचायत क्रमांक 1, 2, 3' ने एक प्रमाण पत्र जारी किया जिसमें यह प्रमाणित किया गया था कि ग्राम पंचायत की परिसीमा के भीतर किसी भी स्थान पर ईसाई समुदाय का कोई कब्रिस्तान नहीं है।

8. तत्पश्चात, उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के अनुतोष प्रदान करने की प्रार्थना को अस्वीकार करते हुए रिट याचिका का निराकरण कर दिनांक 09.01.2025 को आक्षेपित आदेश पारित किया गया।

9. अपीलार्थी द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष यह कथन किया गया, जैसा कि इस न्यायालय के समक्ष है, कि छिंदवाड़ा ग्राम में एक कब्रिस्तान है और ग्राम पंचायत ने मौखिक स्वीकृति द्वारा शवों को दफनाने की स्वीकृति प्रदान की है। आदिवासियों और अन्य समुदायों हेतु पृथक-पृथक कब्रिस्तान उपलब्ध हैं। यह तर्क किया गया था कि महारा जाति या समुदाय के कब्रिस्तान के भीतर ईसाई समुदाय से संबंधित

व्यक्तियों के दफन/दाह संस्कार हेतु एक पृथक क्षेत्र चिह्नित है। यह भी तर्क किया गया कि अपीलार्थी के पूर्वजों एवं रिश्तेदारों को, जैसा कि नीचे विस्तारपूर्वक उल्लेखित किया गया है, दशकों से ईसाइयों को सीमांकित क्षेत्र में दफनाया गया है। उदाहरण के लिए,

i. अपीलार्थी के दादा की मृत्यु वर्ष 2007 में हुई थी और उन्हें ईसाइयों हेतु निर्मित ग्राम के कब्रिस्तान में दफनाया गया था।

ii. अपीलार्थी के दूर के दो रिश्तेदार, अर्थात् सदाशिव सिंह व भागीरथी, दोनों उसी ग्राम के निवासी थे, जिन्हें नक्सलियों के हाथों अपनी जान गंवाने के बाद मार्च 2013 में उसी कब्रिस्तान में दफनाया गया था।

iii. अपीलार्थी की चाची का 2015 में निधन हो गया था और उन्हें छिंदवाड़ा ग्राम के उसी कब्रिस्तान में दफनाया गया था।

10. अतः, अपीलार्थी की प्रार्थना केवल यह थी कि उसके परिवार के ईसाई सदस्यों अर्थात् अपीलार्थी के पिता को उसी प्रकार से और उसी स्थान पर दफन की स्वीकृति प्रदान की जाए, जिस प्रकार उसके परिवार के ईसाई सदस्यों अर्थात् अपीलार्थी के दादा तथा चाची को दफनाया गया था। यह विचार किया जाना चाहिए कि इस न्यायालय के समक्ष ऐसा कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे ज्ञात हो कि अपीलार्थी के दादा तथा चाची का अंतिम संस्कार उनके पैतृक ग्राम में करने का भी ऐसा ही विरोध हुआ था।

11. इसके विपरीत, राज्य ने ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र का अवलंब लेते हुए तर्क किया कि ईसाई समुदाय का कोई भी कब्रिस्तान उसके क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है। वैकल्पिक रूप से यह तर्क किया गया कि यदि अपीलार्थी को अपने पिता को करकापाल ग्राम में दफन की अनुमति प्रदान की जाती है, जो उसके पैतृक ग्राम से 20-25 किलोमीटर (या अधिक) की दूरी पर स्थित है, जहां ईसाई समुदाय हेतु एक पृथक कब्रिस्तान उपलब्ध है, तो किसी को भी मूल रीति-रिवाज के अनुसार किए गए अंतिम संस्कार से कोई आपत्ति नहीं हो सकती है।

12. यह वही तर्क था जिसे उच्च न्यायालय ने स्वीकार किया एवं अवधारित किया कि "निःसंदेह" पैतृक ग्राम में ईसाई समुदाय के सदस्यों हेतु कोई पृथक दफन स्थल/कब्रिस्तान नहीं है जबकि पास के ग्राम में ऐसा है। उच्च न्यायालय ने अवधारित किया कि 'सामान्य नागरिक में अशांति और असामंजस्य' को

रोकने हेतु अपीलार्थी के पिता के पार्थिव शरीर को उसके अपने पैतृक ग्राम में दफनाने का निर्देश देना उचित नहीं होगा। तदनुसार, रिट याचिका का निराकरण किया गया। अतः अपीलार्थी को उसकी अपनी रिट याचिका में बदतर स्थिति में छोड़ दिया गया क्योंकि उसकी मुख्य और वैकल्पिक प्रार्थनाओं को खारिज कर दिया गया इसके अतिरिक्त उच्च न्यायालय ने यह भी अवधारित किया कि मृतक को करकापाल ग्राम में दफनाया जा सकता है, जो छिंदवाड़ा ग्राम से 20-25 किलोमीटर दूर है। अतः इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गई है।

13. उत्तरवादी छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से जवाबी शपथपत्र प्रस्तुत किए गए हैं, जिन पर हम विचार करेंगे।

14. प्रथम शपथपत्र दिनांक 19.01.2025 को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ("एएसपी"), जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ द्वारा शपथपूर्वक किया गया है, जिसमें कथन किया गया है कि वे प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों से भलीभांति परिचित हैं, जो अभिलेख से प्राप्त हैं तथा अभिलेख से प्राप्त जानकारी के आधार पर उन्होंने व्यक्त किया है कि अपीलार्थी न्यू अपोस्टोलिक चर्च से संबंधित ईसाई समुदाय का सदस्य है। अपीलार्थी, उसका परिवार और पूर्वज अनादि काल से छिंदवाड़ा ग्राम में निवास कर रहे हैं और उनके पास उक्त ग्राम में कृषि भूमि है। अपीलार्थी तथा उसका परिवार महारा जाति से संबंधित है और अपीलार्थी के पिता-मृतक-एक पादरी थे तथा ग्राम के चर्च और अन्य स्थानों पर भी प्रार्थनाओं में भाग लेते थे। छिंदवाड़ा ग्राम की कुल जनसंख्या 6450 है, जिसमें से 6000 लोग आदिवासी समुदाय के हैं और शेष यानी 450 लोग महारा समुदाय के हैं। 450 लोगों में से 350 लोग हिंदू महारा समुदाय के हैं और शेष 100 लोग ईसाई समुदाय के हैं।

14.1 इसके अतिरिक्त, छिंदवाड़ा ग्राम में एक कब्रिस्तान है और ग्राम पंचायत ने शवों को दफन/दाह संस्कार हेतु मौखिक रूप से स्थान आवंटित किया है। इस ग्राम के कब्रिस्तान में आदिवासियों को दफन और हिंदू धर्म के व्यक्तियों को दफन/दाह संस्कार के लिए पृथक-पृथक क्षेत्र सीमांकित किए गए हैं; अपीलार्थी के दादा लकेश्वर बघेल की मृत्यु 28 वर्ष पूर्व हो गई थी तथा उनका अंतिम संस्कार ग्राम के रीति-रिवाजों के अनुसार किया गया था क्योंकि वह हिंदू थे; अपीलार्थी की चाची शांति बघेल की मृत्यु आठ वर्ष पूर्व हुई थी तथा उनका अंतिम संस्कार उक्त ग्राम के कब्रिस्तान में महारा समुदाय के रीति-रिवाजों के अनुसार किया गया था।

14.2 अपीलार्थी के पिता की मृत्यु दिनांक 07.01.2025 को प्रातः 7.00 बजे लम्बी बीमारी के कारण हुई थी तथा अपीलार्थी उन्हें उपरोक्त ग्राम के कब्रिस्तान में ईसाइयों के लिए निर्दिष्ट क्षेत्र में दफनाना

चाहता था। यह कथन किया गया है कि "यह सुनकर, कुछ ग्रामीणों ने इस पर आक्रामक रूप से आपत्ति जताई तथा उन्होंने धमकी दी कि यदि वर्तमान अपीलार्थी या उसके परिवार ने वर्तमान अपीलार्थी के पिता को इस भूमि पर दफन किया तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।" शपथपत्र के कण्डिका '7(F)' में कथन किया गया है कि "ग्राम पंचायत में जन्म, विवाह एवं मृत्यु की रस्में परंपरा के अनुसार की जाती हैं। कोई भी व्यक्ति जिसने समुदाय की परंपरा को त्याग दिया है या ईसाई बन गया है, उसे ग्राम के कब्रिस्तान में दफन की अनुमति नहीं है। यह भी कथन किया गया है कि "छिंदवाड़ा के बरहपाल ग्राम में ईसाई समुदाय हेतु कोई पृथक कब्रिस्तान नहीं है"। इसके अतिरिक्त कण्डिका '7(G)' में कथन किया गया है कि "ग्रामीणों के अनुसार, किसी ईसाई व्यक्ति को उनके ग्राम में नहीं दफनाया जा सकता है, चाहे वह ग्राम के कब्रिस्तान में हो या वर्तमान याचिकाकर्ता की निजी भूमि पर"। अन्य बातों के अतिरिक्त, पदग्राही सरपंच के पति मंगतू ने वर्तमान प्रकरण में दफनाने पर आपत्ति जताई है तथा जब ग्रामीण हिंसक हो गए, तो अपीलार्थी के परिवार ने पुलिस को सूचना दी और 30/35 पुलिसकर्मी ग्राम पहुंचे। फिलहाल शव को जिला अस्पताल एवं चिकित्सा महाविद्यालय, जगदलपुर के शवगृह में रखवाया गया है। तत्पश्चात अपीलार्थी ने छिंदवाड़ा पुलिस थाना के समक्ष ग्राम के ईसाई दफन स्थल में अपने पिता के शांतिपूर्ण और ससम्मान अंतिम संस्कार को सुनिश्चित करने हेतु उत्तरवादी-प्राधिकारियों से सुरक्षा व सहायता की मांग करते हुए एक आवेदन दिया और कलेक्टर, बस्तर; अनुविभागीय अधिकारी, तोकापाल; पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर; पुलिस अधीक्षक, बस्तर तथा पुलिस थाना दरभा को भी इसी प्रकार के आवेदन दिए।

14.3 यह कि जब दुंदुल नाग एवं जिला सरपंच से सूचना मिली कि मेंडाभाटा के एक पादरी अर्थात् अपीलार्थी के पिता की बीमारी के कारण उनके घर में मृत्यु हो गई है, तो पुलिस उनके घर पहुंची। कण्डिका 8(II) में यह कथन किया गया है कि "वरिष्ठ नागरिकों, आदिवासी समुदाय के लोगों व अन्य हिंदू समुदाय के सदस्यों के अनुसार, करकापाल, जगदलपुर के कब्रिस्तान में ईसाई रीति-रिवाजों के अनुसार दफन किया जाना चाहिए वही दूसरी ओर, महारा ईसाई समुदाय के सदस्य तथा मृतक के परिवार वाले चाहते थे कि छिंदवाड़ा में दफन किया जाए क्योंकि वे पीढ़ियों से वहां निवास कर रहे हैं"। विभिन्न समुदायों के सदस्यों के मध्य तीखी नोकझोंक हुई। बाद में, उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

14.4 यह कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (संक्षेप में "1993 का अधिनियम") की धारा 49(12) सहित धारा 95 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत (शवों, पशु-शवों, व अन्य घृणास्पद पदार्थों के व्ययन हेतु स्थानों का विनियमन) नियम, 1999 (संक्षेप में "1999 के नियम") बनाए हैं। यह कि, नियम 3 में चौबीस घंटे के भीतर शव का व्ययन

अनिवार्य है, जबकि नियम 4 में ग्राम पंचायत पर शव के व्ययन की व्यवस्था करने का कर्तव्य अधिरोपित किया गया है, और नियम 5 में शव के व्ययन हेतु स्थान का प्रावधान है। इस अभिसाक्षी के अनुसार, *"छिंदवाड़ा ग्राम में ईसाइयों के लिए कोई पृथक कब्रिस्तान नहीं है, जिस पर सरपंच, उप-सरपंच व पंचों के हस्ताक्षर हैं"*; यदि अपीलार्थी अपने मृतक पिता का अंतिम संस्कार निकटवर्ती ग्राम करकापाल में करता है, जो छिंदवाड़ा ग्राम के पास स्थित है, जहां ईसाई समुदाय हेतु पृथक कब्रिस्तान है, तो कोई आपत्ति नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में महारा ईसाई समुदाय तथा आदिवासी समुदाय के लोगों के मध्य उनकी धार्मिक मान्यताओं के कारण विवाद उत्पन्न हुए हैं। परिणामस्वरूप, जब भी महारा ईसाई समुदाय के किसी सदस्य की मृत्यु होती है, तो पुलिस मृत्यु स्थान पर पहुंचती है, ताकि पक्षकारों के मध्य किसी भी प्रकार की तीखी नोकझोंक से बचा जा सके और यदि पक्षकारों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उन्हें समाधान या सामान्य भूमि ढुंढने में सहायता प्राप्त हो सके। पैरा 13 में यह भी कथन किया गया है कि यदि संबंधित समुदाय समाधान ढुंढने में असमर्थ हैं, तो *"शासकीय निकाय सामान्यतः महारा ईसाई समुदाय को अपने निजी भूमि को अपने दफन हेतु उपयोग करने का सुझाव देते हैं और यदि ऐसा नहीं होता है, तो पुलिस ईसाई समुदाय को करकापाल में स्थित शासकीय कब्रिस्तान में दफन का सुझाव देती है जो छिंदवाड़ा से लगभग 40-45 किलोमीटर दूर है"* छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान सॉलिसिटर जनरल के अनुसार, करकापाल की दूरी छिंदवाड़ा से 20-25 किलोमीटर पढ़ा जाना चाहिए।

15. उपरोक्त शपथपत्र के बाद दिनांक 21.01.2025 को एक अन्य शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला बस्तर ने कथन किया है कि छत्तीसगढ़ राज्य मूलतः एक आदिवासी राज्य है एवं इसकी अपनी विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक स्थिति है। आदिवासी समुदाय मृत्यु के समय शवदाह नहीं करते हैं, बल्कि वे अपने मृतकों को दफन हेतु एक अलग निर्दिष्ट स्थान पर दफनाते हैं। यह एक "हिंदू-आदिवासी-दफन स्थल" है। कुछ आदिवासी हैं जो ईसाई बन गए हैं और वे ईसाई धर्म को अपना धर्म मानते हैं। संबंधित ग्राम में कुल जनसंख्या 6450 के मुकाबले केवल 100 ईसाई हैं। परिणामस्वरूप, प्रत्येक ग्राम में ईसाइयों की संख्या के आधार पर तीन से चार ग्रामों के लिए एक कब्रिस्तान निर्दिष्ट किया जाता है। यह कथन किया गया है कि नियम मुस्लिम/हिंदू आदिवासियों/अन्य हिंदुओं जो मृतकों/ईसाइयों को दफनाते हैं, के लिए दाह संस्कार या दफन हेतु एक विशेष सीमांकित स्थान निर्धारित व विनिर्दिष्ट करते हैं। महज इसलिए *"कि... अतीत में कुछ अवसरों पर हिंदू आदिवासियों ने अपने कब्रिस्तानों को दो व्यक्तियों के दफनाने के लिए उपयोग करने की अनुमति प्रदान की गई थी, इसे हिंदू आदिवासी समुदाय द्वारा मूल अधिकारों का त्याग नहीं माना जा सकता क्योंकि मूल अधिकारों का कभी त्याग नहीं किया जा सकता।"* "यह कि... दोनों प्रकरणों में धर्म के "आचरण" के अधिकार को संरक्षित करने में मात्र विचलन हिंदू आदिवासियों के लिए निर्दिष्ट कब्रिस्तान के चरित्र को परिवर्तित नहीं करेगा, जिनके धर्म में दाह संस्कार के बजाय दफनाने की आवश्यकता होती है।" संविधान के

अनुच्छेद 21 व 25 का संदर्भ भी दिया गया है। उपरोक्त के आलोक में, अभिसाक्षी ने कथन किया है कि राज्य शासन ईसाइयों के लिए निर्दिष्ट कब्रिस्तान में सम्मानपूर्वक दफन हेतु शव को ले जाने के लिए एक एम्बुलेंस प्रदान करेगी और/या राज्य शासन आवश्यकतानुसार पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।

16. इस शपथपत्र के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, बस्तर द्वारा दिनांक 22.1.2025 को एक और शपथपत्र प्रस्तुत किया गया। यह कथन किया गया है कि करकापाल ग्राम में खसरा क्रमांक 9/94 में 1.96 एकड़ क्षेत्रफल में ईसाइयों के लिए एक निर्दिष्ट दफन स्थल है और समुदाय ने समीप की भूमि पर भी कब्जा कर लिया है, जिससे निर्दिष्ट भूमि 2.15 एकड़ हो गई है, जो कि समीप के चार ग्रामों में ईसाइयों की आबादी को देखते हुए ईसाइयों के दफन की आवश्यकता को पूर्ण करने हेतु पर्याप्त है। यह कि ईसाई समुदाय के लोगों की उपस्थिति में दिनांक 30.01.2013 को तैयार किए गए पंचनामा में 2.15 एकड़ की स्थिति को दर्शाते हुए उक्त दफन स्थल के संबंध में 2013 में एक सीमांकन रिपोर्ट तैयार की गई है। यह कि चारों ग्रामों अर्थात् छिंदवाड़ा, मुंगा, तीरथगढ़ व दरभा के ईसाई उक्त भूमि का उपयोग उक्त चारों ग्रामों के ईसाइयों को दफन हेतु कर रहे हैं। अतः ईसाई समुदाय से संबंधित अपीलार्थी को दफन हेतु एक निर्दिष्ट स्थान मिलना चाहिए।

17. इन शपथपत्रों के जवाब में अपीलार्थी ने दो अतिरिक्त शपथपत्र भी प्रस्तुत किए हैं। दिनांक 21.01.2025 को प्रस्तुत अतिरिक्त शपथपत्र में अपीलार्थी ने कथन किया है कि जमीनी स्तर पर वास्तविक स्थिति यह है कि छिंदवाड़ा ग्राम में खसरा क्रमांक 725/136 की भूमि का उपयोग कब्रिस्तान के रूप में किया जा रहा है और सभी समुदायों ने उक्त भूमि का उपयोग कब्रिस्तान के रूप में किया है, जिसे ग्राम पंचायत व कलेक्टर द्वारा औपचारिक रूप से मान्यता दी जानी थी। इस संबंध में, खसरा क्रमांक 725/136 का स्थानीय पटवारी द्वारा तैयार कब्रिस्तान के हस्तरचित नक्शे का अवलंब लिया है, जैसा कि अतिरिक्त शपथपत्र में संलग्न है। यह कि, इससे पूर्व महाराजा जाति के कई ईसाइयों को ग्राम के कब्रिस्तान में दफनाया गया है, जिसे ईसाइयों के लिए आंशिक रूप से सीमांकित किया गया है। कब्रों के अक्षांश और देशांतर को दर्शाने वाले निर्देशांकों सहित तस्वीर तथा उन व्यक्तियों के शपथपत्र, जिन्होंने अपने परिवार के मृत सदस्यों को उक्त कब्रिस्तान में दफनाया है, अतिरिक्त शपथपत्र सहित संलग्न किए गए हैं।

18. उक्त साक्ष्य के समर्थन में, राज्य के जवाबी शपथपत्र के पैराग्राफ 8 में कही गई तथ्यों का प्रतिवाद करने हेतु दिनांक 22.01.2025 को एक और अतिरिक्त शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। यह कथन किया गया है कि पड़ोसी ग्रामों अर्थात् दरभा, ममदपाल व करका में किसी भी ईसाई ने कभी भी अपने मृतकों के

शव को करकापाल ग्राम में नहीं दफनाया है। यह भी कथन किया गया है कि छिंदवाड़ा या समीप के ग्रामों में, कोई भी ईसाई अपने मृतकों के शव को ग्राम के बाहर दफन हेतु नहीं ले गया है।

प्रस्तुतियाँ:

19. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोंसाल्वेस ने तर्क किया कि उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को अनुतोष प्रदान करने से इनकार करके संभावित "अशांति और असामंजस्य" में कारण ढूँढकर गंभीर त्रुटि की है। अपीलार्थी का तर्क है कि अनियंत्रित भावनाओं ने अपीलार्थी के मृतक पिता के अंतिम संस्कार को एक विवादास्पद विवाद्यक में परिवर्तित कर दिया है, जहाँ कोई भी संभवतः अस्तित्व नहीं हो सकता क्योंकि परिवार पीढ़ियों से अपने मृतकों को एक ही स्थान पर दफनाता आ रहा है।

19.1. इस पर बल दिया गया कि अपीलार्थी के पैतृक ग्राम छिंदवाड़ा में आदिवासियों और महारा जाति के लिए पृथक-पृथक कब्रिस्तान हैं और महारा जाति के कब्रिस्तान के भीतर हिंदू धर्म और ईसाई समुदाय के लोगों के दफन/दाह संस्कार हेतु पृथक क्षेत्र उपलब्ध है। अपीलार्थी ने ग्राम के कब्रिस्तान में ईसाइयों के लिए विनिर्दिष्ट क्षेत्र में अपनी चाची और दादा की कब्रों की तस्वीरें और निर्देशांक भी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए हैं।

19.2 इसके अतिरिक्त, यह तर्क किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मौखिक अनुमति के अस्तित्व की पुष्टि पिछले कुछ दशकों से ईसाइयों को दफन की प्रथा से होती है, जिसमें अपीलार्थी के दादा और चाची को ईसाइयों के लिए निर्दिष्ट क्षेत्र में दफनाया गया था। इसलिए, अपीलार्थी के अनुसार, निस्संदेह एक स्थापित प्रथा है। इस आलोक में, यह तर्क किया गया कि इन सभी दशकों में स्थानीय ग्राम पंचायत ने मौखिक अनुमति के आधार पर, ग्राम में ही ईसाइयों के दफन की अनुमति प्रदान की थी और अपीलार्थी के परिवार के सदस्यों की कब्रों की तस्वीरें उक्त तथ्य की मौखिक साक्ष्य के रूप में उपलब्ध हैं। यद्यपि, उच्च न्यायालय ने लिखित अनुमति पर बल देने या न्यायालय में प्रस्तुत सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र का अवलंब लेने में त्रुटि की।

19.3 यह भी निवेदन किया गया कि यह न्यायालय उत्तरवादीगण को निर्देशित करे कि वे अपीलार्थी के पिता को उसके दादा और चाची के दफन के निकट दफनाने में कोई बाधा उत्पन्न न करें। वैकल्पिक रूप से, यह निवेदन किया गया कि अपीलार्थी को अपने पिता को उसकी निजी कृषि भूमि में दफन की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए, जो एक तरह से विवाद को शांत करेगा।

20. इसके विपरीत, विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता ने राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान महाधिवक्ता एवं उत्तरवादी-प्राधिकारियों के अन्य अधिवक्तागण सहित उत्तरवादीगण की ओर से दलीलें प्रस्तुत कीं एवं तर्क किया कि इस प्रकरण में अनुच्छेद 25 के अधीन संवैधानिक विवादक उत्पन्न होंगे, जिन पर उभयपक्ष द्वारा विस्तारपूर्वक तर्क किया जा सकता था। यद्यपि, वर्तमान प्रकरण के तथ्यों और विशेष रूप से इस तथ्य को विचार में रखते हुए कि अपीलार्थी के पिता का शव दिनांक 07.01.2025 से जगदलपुर के जिला अस्पताल व चिकित्सा महाविद्यालय के शवगृह में संरक्षित किया जा रहा है, पक्षकारों के मध्य विवाद के समाधान हेतु, अपीलार्थी अपने पिता को करकापाल के कब्रिस्तान में दफन कर सकता है, जो छिंदवाड़ा ग्राम से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर है और अपीलार्थी को उस संबंध में राज्य शासन द्वारा सभी प्रकार का समर्थन दिया जाएगा। इस संबंध में, उत्तरवादीगण की ओर से प्रस्तुत दोनों पश्चावर्ती शपथपत्रों का अवलंब लिया गया।

20.1 विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने तर्क किया कि अपीलार्थी एक ऐसे किसी उद्देश्य के लिए संघर्ष कर रहा है, जिसे अपीलार्थी को करकापाल कब्रिस्तान में उसके पिता को दफन करने की अनुमति प्रदान कर शांत किया जा सकता है और इस प्रकार के प्रकरण का निष्कर्ष निकाला जा सकता है।

21. प्रतिउत्तर में, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क किया कि यदि अपीलार्थी उसके मृतक पिता का अंतिम संस्कार करकापाल कब्रिस्तान में करना चाहता था, जैसा कि अब उत्तरवादीगण द्वारा सुझाव दिया जा रहा है, तो उसके लिए उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका प्रस्तुत कर प्रतिकूल विभेद की कसौटी पर शिकायत करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरी ओर, अपीलार्थी का प्रकरण यह है कि ग्राम के कब्रिस्तान में अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए अनावश्यक आपत्ति और धमकियों के कारण उसने संबंधित पुलिस व अन्य प्राधिकारियों से सुरक्षा के लिए अभ्यावेदन किया था, जो अनुत्तरित रहे हैं। इन परिस्थितियों में अपीलार्थी उच्च न्यायालय की शरण में जाने के लिए बाध्य हुआ, जिसने भी अपीलार्थी को कोई अनुतोष प्रदान करने से अस्वीकार कर दिया है। अतः अपीलार्थी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुआ है।

21.1 अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने अपने अतिरिक्त शपथपत्र के संदर्भ में तर्क किया कि खसरा क्रमांक 725/136 के संबंध में छिंदवाड़ा ग्राम के पटवारी ने एक रेखाचित्र तैयार किया है, जिसमें दर्शाया गया है कि उक्त खसरा क्रमांक के कुल 17.607 हेक्टेयर क्षेत्रफल में से 1.050 हेक्टेयर क्षेत्रफल शासकीय भूमि है, जो "कब्रिस्तान के लिए प्रस्तावित है"। यह दावा किया गया है कि इस क्षेत्र का उपयोग दशकों से कब्रिस्तान के रूप में किया जा रहा है और इस संबंध में एक औपचारिक घोषणा "की जानी है"।

2002-2003 के अनुलग्नक 'ए-1' में दिए गए दस्तावेज में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि चूंकि ग्राम का कोई बंदोबस्त सर्वेक्षण नहीं हुआ है, अतः रेखा-चित्र हस्त-निर्मित है। यह दस्तावेज 04.05.2024 दिनांकित है, जो निर्विवाद समय का है। छिंदवाड़ा की ग्राम पंचायत में ईसाई रीति-रिवाजों के अनुसार सार्वजनिक कब्रिस्तान में दफनाए गए ईसाई मृतक व्यक्तियों की सूची और जानकारी दी गई है, जिससे ज्ञात होता है कि ऐसे 26 व्यक्ति हैं, जिन्हें दफनाया गया है। इसके अतिरिक्त, अनुलग्नक ए-3 एक हस्त-निर्मित रेखाचित्र है, जो दर्शाता है कि जहां तक महारा समाज हेतु आवंटित क्षेत्र का संबंध है, वहां एक हिस्सा ईसाई महारा कब्रिस्तान के लिए है और दूसरा निकटवर्ती हिस्सा हिंदू महारा कब्रिस्तान के लिए है। इसके अतिरिक्त, इन सभी दशकों में ईसाइयों द्वारा ईसाई महारा कब्रिस्तान के रूप में इंगित उक्त क्षेत्र में अपने मृतकों को दफन पर कोई आपत्ति नहीं की गई है। जिन ईसाई परिवार के रिश्तेदारों को उक्त कब्रिस्तान में दफनाया गया है, उनके शपथपत्र और कब्रों की कुछ तस्वीरें भी प्रस्तुत की गई हैं। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, इन शपथपत्रों से ज्ञात होता है कि महारा समाज के सदस्य जो ईसाई हैं, उन्होंने अपने मृतकों को उक्त क्षेत्र में दफनाया है, जैसा कि रेखाचित्र में दर्शाया गया है।

21.2 विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस तथ्य पर बल दिया कि महारा समाज में कुछ लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, जबकि अन्य लोग ईसाई धर्म को मानते हैं और तदनुसार कब्रिस्तान क्षेत्र में पूरे महारा समाज हेतु स्थान का सीमांकन किया गया है।

21.3 शपथपत्रों का अंग्रेजी अनुवाद निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किया गया है: (क) जलदेव कुमार, (ख) विजय बैस, (ग) बाली नाग, (घ) पीलूराम नाग, (ङ) समेल बघेल, (च) पीला राम, (छ) सुरेंद्र, (ज) श्रीमती पूनम, (झ) पद्मिनी नाग, (ञ) इच्छावती नाग, (ट) ज्वाला नाग, (ठ) राजेश बघेल, (ड) भूरसू कश्यप और (ढ) राजकुमार नाग, जिसका परिशीलन किया जाना चाहिए।

21.4 समस्त शपथपत्रों में वर्ष 1986 से फरवरी 2024 तक ग्राम के कब्रिस्तान में मरने वाले और दफनाए गए उनके परिवार के सदस्यों का विवरण दिया गया है। शपथपत्रों में कुछ कब्रों की तस्वीरें भी संलग्न की गई हैं, जिनमें अपीलार्थी की चाची (शांति बघेल) और दादा (लक्ष्मण बघेल) की कब्रें सम्मिलित हैं।

21.5 अतः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क किया कि अपीलार्थी के पिता को उसी क्षेत्र में दफन पर अनावश्यक आपत्ति उठाई जा रही है, जिसे ईसाई धर्म को मानने वाले महारा समाज के सदस्यों को दफन हेतु सीमांकित किया गया है। उन्होंने तर्क किया कि अपीलार्थी को अपने पिता को मौखिक रूप से सीमांकित क्षेत्र में दफन की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए, जैसे परिवार के अन्य सदस्यों को दी जाती

है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, अपीलार्थी के पिता को दफन के संबंध में अनावश्यक रूप से विवाद उत्पन्न किया गया है। परिणामस्वरूप, अपीलार्थी के पिता, जिनकी मृत्यु दिनांक 07.01.2025 को हुई थी, को दो सप्ताह से अधिक समय से सभ्य व ससम्मान अंतिम संस्कार नहीं मिल पाया है और उनका शव जिला अस्पताल के शवगृह में पड़ा हुआ है। इन परिस्थितियों में, उन्होंने तर्क किया कि उत्तरवादीगण द्वारा उठाई गई आपत्तियों को खारिज किया जाना चाहिए तथा अपीलार्थी को अनुतोष प्रदान की जानी चाहिए ताकि उनके मृत पिता की गरिमा को संकट न हो। वैकल्पिक रूप से, यह तर्क किया गया कि अपीलार्थी को छिंदवाड़ा ग्राम में अपनी निजी कृषि भूमि पर अपने पिता को दफन की अनुमति प्रदान की जाए।

विश्लेषण:

22. संबंधित पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं शपथपत्रों पर विचार किया गया है। उत्तरवादी-राज्य के दिनांक 19.01.2025 के शपथपत्र के परिशीलन से यह निष्कर्ष निकलता है कि ग्राम बरहपाल, छिंदवाड़ा में ईसाइयों के लिए विशेष रूप से कोई पृथक कब्रिस्तान स्वीकृत नहीं है; यह कि बरहपाल, छिंदवाड़ा ग्राम में महाराष्ट्र समुदाय में काफी हद तक हिंदू सम्मिलित हैं और ईसाइयों की संख्या कम है। उक्त ग्राम पंचायत में जन्म, विवाह और मृत्यु के संस्कार निवासियों की धार्मिक परंपराओं के अनुसार किए जाते हैं।

22.1 यह भी विचार करने योग्य है कि इससे पूर्व, ईसाई धर्म से संबंधित कम से कम 20 व्यक्तियों को कब्रिस्तान में दफनाया गया है और बरहपाल, छिंदवाड़ा की ग्राम पंचायत ने हमेशा मौखिक रूप से महाराष्ट्र समुदाय से संबंधित ईसाई समुदाय के सदस्यों को ग्राम के कब्रिस्तान में सीमांकित स्थान पर दफन की अनुमति प्रदान की थी और 1980 के दशक के मध्य से लेकर फरवरी 2024 तक दफन का कार्य किया गया है।

22.2 परंतु अब उसी क्षेत्र में अपीलार्थी के पिता को दफन के खिलाफ विरोध जताया जा रहा है। जब पहले ग्राम पंचायत, बरहपाल, छिंदवाड़ा ने ईसाई धर्म के अनुयायियों को दफन की अनुमति प्रदान की थी, तो अपीलार्थी के पिता के प्रकरण में इसे अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं है। उत्तरवादीगण की ओर से प्रस्तुत विस्तृत शपथपत्रों की अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथपत्रों से तुलना करने पर निम्नलिखित संकेत मिलते हैं:

i. महारा समुदाय हेतु कब्रिस्तान के रूप में सीमांकित क्षेत्र में (i) हिंदू महारा कब्रिस्तान; तथा (ii) ईसाई महारा कब्रिस्तान के रूप में आंतरिक सीमांकन है। इन दशकों में किसी भी पक्षकार द्वारा कोई आपत्ति किए बिना संबंधित धर्मों के लोगों को महारा समुदाय हेतु सीमांकित क्षेत्र में दफनाया गया है।

ii. सीमांकन पंचायत द्वारा पारित औपचारिक आदेश द्वारा नहीं किया जा सकता है, परंतु कब्रिस्तान में महारा समुदाय हेतु आरक्षित क्षेत्र के भीतर संबंधित क्षेत्रों का आवंटन इस तथ्य का संकेत है कि छिंदवाड़ा के बारहपाल ग्राम की पंचायत ने हमेशा से पूरे महारा समुदाय हेतु सीमांकित कब्रिस्तान के सीमांकित क्षेत्र में मृतकों को उनकी आस्था के अनुसार दफन की अनुमति प्रदान की है।

iii. ग्राम के किसी भी निवासी द्वारा ईसाई धर्म को मानने वाले महारा समुदाय से संबंधित कई अन्य व्यक्तियों को उक्त कब्रिस्तान में दफन पर कभी कोई आपत्ति नहीं की गई है, क्योंकि अपीलार्थी के अतिरिक्त शपथपत्र से ज्ञात होता है कि ईसाई धर्म को मानने वाले महारा समुदाय से संबंधित लोगों ने अपने मृतकों को उक्त समुदाय हेतु सीमांकित क्षेत्र में दफनाया है।

iv. अपीलार्थी के दूसरे अतिरिक्त शपथपत्र में यह भी संकेत दिया गया है कि छिंदवाड़ा ग्राम में एक भी ईसाई ने करकापाल ग्राम के कब्रिस्तान का उपयोग नहीं किया है।

22.3 उपरोक्त परिस्थितियों और 1999 के अधिनियम के नियम 5 के दृष्टिगत, यह अवधारित किया गया है कि यह ग्राम पंचायत का कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि ग्राम के किसी भी मृत व्यक्ति को यथासंभव शीघ्र व 24 घंटे की अवधि के भीतर दफनाया जाए, चाहे वह किसी भी धर्म का पालन करता हो। परंतु यहां एक प्रकरण है, जहां ग्राम के कुछ निवासियों की तथाकथित आपत्ति पर अपीलार्थी यह तर्क दे रहा है कि उसे ईसाई धर्म का पालन करने वाले महारा समुदाय हेतु सीमांकित क्षेत्र में ग्राम के कब्रिस्तान में अपने पिता को दफन से मना किया जा रहा है, जो हिंदू धर्म का अनुपालन करने वाले महारा समुदाय हेतु मौखिक रूप से सीमांकित क्षेत्र से सटा हुआ है। सुसंगत नियम निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:

3. शव का 24 घंटे के भीतर व्ययन-

(1) जब ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर किसी स्थान पर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाये, तो ऐसे स्थान का अधिभोगी या स्वामी अपनी पूरी सामर्थ्य से, मृतक व्यक्ति के रिश्तेदारों या अन्य व्यक्तियों के द्वारा, मृतक के धर्म की रूढ़ि के अनुसार शव को गाड़ने, जलाने या अन्यथा व्ययन किए जाने के लिए मृत्यु होने के 24

घण्टे के भीतर ग्राम पंचायत के सरपंच या सचिव को या ऐसे व्यक्ति को, जिसे ग्राम पंचायत इस निमित्त नियुक्त करे, इस तथ्य की रिपोर्ट करेगा।

(2) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो इस बात से अवगत हो कि किसी स्थान पर कोई शव उपेक्षित पड़ा है, तत्क्षण ग्राम पंचायत के सरपंच या ऐसे व्यक्ति को, जिसे ग्राम पंचायत इस निमित्त नियुक्त करे और उस स्थान के अधिभोगी या स्वामी को भी इस तथ्य की रिपोर्ट देगा।

(3) इस नियम में कोई भी बात ऐसे किसी मामले को लागू नहीं होगी, जहां मृतक का शरीर न्यायिक या पुलिस जांच के लिए आपेक्षित हो।

4. ग्राम पंचायत शव के व्ययन की व्यवस्था करेगी-

(1) नियम 3 के उपनियम (2) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने पर ग्राम पंचायत शव के व्ययन की व्यवस्था करेगी।

(2) ऐसे व्ययन में हुए व्यय को मृतक के वारिसों से, यदि कोई हों, अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय कर की बकाया की भांति वसूल किये जायेंगे।

(3) यदि ऐसे वारिस ना हों, तो व्यय ग्राम पंचायत द्वारा वहन किया जाएगा।

5. शवों के व्ययन हेतु स्थान-

ग्राम पंचायत द्वारा सम्यक् रूप से ग्राम में प्रकाशित लिखित आदेश द्वारा अनुमोदित स्थान से भिन्न स्थान, जो शमशान घाट हो या जो कब्रिस्तान हो या शासन द्वारा अवधारित हो या शासकीय अभिलेखों में स्थान हो, से भिन्न स्थान में शव को जलाकर, गाड़कर या उसके अन्यथा व्ययन के लिये उपयोग में नहीं लाया जायेगा।

22.4 यहां तक कि अनुलग्नक पी-10 दिनांक 09.01.2025 के अनुसार जो कि "बारहपाल छिंदवाड़ा ग्राम पंचायत क्रमांक 1, 2 व 3" के सरपंच एवं उपसरपंच द्वारा जारी किया गया है, ग्राम पंचायत छिंदवाड़ा क्रमांक 1, 2 व 3 की परिसीमा के अंतर्गत किसी भी स्थान पर ईसाई समुदाय का कोई कब्रिस्तान अभी तक स्थापित नहीं है। सुलभ संदर्भ हेतु उक्त प्रमाण पत्र निम्नानुसार है:

" कार्यालय

बारहपाल छिंदवाड़ा ग्राम पंचायत क्रमांक 1, 2, 3

यह प्रमाणित किया जाता है कि बारहपाल छिंदवाड़ा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत छिंदवाड़ा क्रमांक 1, ग्राम पंचायत छिंदवाड़ा क्रमांक 2, ग्राम पंचायत छिंदवाड़ा क्रमांक 3 की परिसीमा के भीतर अब तक किसी भी स्थान पर ईसाई समुदाय का कब्रिस्तान नहीं है। बारहपाल छिंदवाड़ा जो तहसील दरभा, थाना दरभा, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है।

सही/-

सरपंच

सही/-

उप सरपंच

दिनांक:09.01.2025"

22.5 अतः पंचायत के अनुसार भी, छिंदवाड़ा ग्राम के परिसर में ग्राम पंचायत द्वारा ईसाई समुदाय हेतु अब तक कोई कब्रिस्तान स्थापित नहीं किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार भी, ईसाई समुदाय के सदस्यों को हिंदू महारा समुदाय हेतु सीमांकित क्षेत्र से सटे महारा समुदाय हेतु सीमांकित कब्रिस्तान के एक हिस्से का उपयोग करने की मौखिक अनुमति प्रदान की जा रही थी। यह संभवतः छिंदवाड़ा ग्राम पंचायत द्वारा कोई औपचारिक घोषणा नहीं किए जाने के कारण है।

22.6 ग्राम पंचायत का यह कर्तव्य और दायित्व था कि वह छिंदवाड़ा ग्राम में अर्थात् अपने अधिकारिता में ईसाइयों को दफन हेतु औपचारिक रूप से एक क्षेत्र का सीमांकन करती। इसके बजाय, उत्तरवादीगण ने कथन किया है कि 20-25 या 40-45 किलोमीटर दूर करकापाल ग्राम में खसरा क्रमांक 9/94 में 1.96 एकड़ - 2.15 एकड़, यदि समीप की भूमि भी सम्मिलित है -चार ग्रामों के ईसाई दफन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु पर्याप्त है और इसका उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जा रहा है। यद्यपि, इस न्यायालय के समक्ष यह दर्शाने हेतु कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि छिंदवाड़ा ग्राम में मृतकों को करकापाल में दफनाया गया है। कोई शासकीय आदेश या अधिसूचना प्रस्तुत नहीं की गई है। यह दर्शाने के लिए भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि छिंदवाड़ा ग्राम पंचायत ने किसी भी प्रकार से करकापाल ग्राम में दफन स्थल को छिंदवाड़ा ग्राम के ईसाइयों के लिए दफन स्थल निर्धारित किया है। इसके अतिरिक्त, इस न्यायालय के समक्ष इस कथन का समर्थन करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि छिंदवाड़ा ग्राम में कब्रिस्तान को हिंदू समुदाय के सदस्यों के विशेष उपयोग हेतु निर्दिष्ट किया गया है और न ही ऐसी प्रथा को दर्शाने हेतु कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है।

22.7 उत्तरवादीगण द्वारा लिया गया अवलंब 1999 के नियमों के नियम 8 पर विचार किया जा सकता है। 1999 के नियमों का नियम 8 निम्नानुसार है:

“8. कब्र खोदना – किसी भी कब्र से एक मीटर के फासले के भीतर या ग्राम पंचायत द्वारा इस प्रयोजन के लिए चिन्हित स्थान के बाहर नहीं खोदी जायेगी।”

वर्तमान प्रकरण में, उत्तरवादी क्रमांक 9-ग्राम पंचायत ने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि ईसाई समुदाय हेतु कब्रिस्तान के प्रयोजन से उसके द्वारा कोई स्थान चिन्हित नहीं किया गया है। चूंकि ग्राम पंचायत द्वारा कोई स्थान चिन्हित नहीं किया गया है, अतः वर्तमान प्रकरण में नियम 8 लागू नहीं किया जा सकता है। ग्राम में ईसाई समुदाय हेतु ग्राम पंचायत द्वारा इस प्रकार के निर्धारण के अभाव में, अपीलार्थी के पास विकल्प यह है कि वह दफन के लिए अपनी निजी कृषि भूमि का उपयोग करे, जो अपीलार्थी का तर्क भी है। ऐसा तर्क उचित है।

22.8 उत्तरवादी-राज्य की ओर से प्रतिपक्षी सुझाव यह है कि अपीलार्थी अपने पिता का अंतिम संस्कार करकापाल स्थित कब्रिस्तान जो उसके निवास स्थान से लगभग 20-25 या 40-45 किलोमीटर दूर है, में कर सकता था। यह विकल्प अपीलार्थी के पास किसी भी दशा में उपलब्ध था। दूसरी ओर, अपीलार्थी ने अपने पिता को या तो छिंदवाड़ा ग्राम में महारा ईसाई समुदाय के लिए आरक्षित कब्रिस्तान में ईसाई समुदाय के लिए मौखिक रूप से सीमांकित क्षेत्र में या वैकल्पिक रूप से, यहां अपीलार्थी की कृषि भूमि में दफन की अनुमति मांगी। यही कारण है कि अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय की शरण ली। अपीलार्थी की इस शिकायत की उच्च न्यायालय ने विवेचना नहीं की, जिसने इसके बजाय अपीलार्थी को अपने पिता का अंतिम संस्कार करने और उन्हें अपने ग्राम से 20-25 या उससे अधिक किलोमीटर दूर दफन का निर्देश दिया। यदि अपीलार्थी ने उक्त विकल्प का प्रयोग किया होता तो उसे उच्च न्यायालय के शरण में जाने की आवश्यकता नहीं होती।

22.9 दूसरी ओर, अपीलार्थी विभेद व पूर्वाग्रह के आधार पर शिकायत कर रहा है। उच्च न्यायालय को अपीलार्थी की विपदा एवं कठिनाई की विवेचना करनी चाहिए थी और अपीलार्थी द्वारा की गई प्रार्थनाओं में समाधान ढूंढना चाहिए था, ग्राम पंचायत को निर्देशित कर कि वह या तो कब्रिस्तान में दफन की अनुमति प्रदान करे, जिसका उपयोग ईसाई धर्म को मानने वाले महारा समुदाय द्वारा किया जा रहा था या वैकल्पिक रूप से, अपीलार्थी की निजी कृषि भूमि पर दफन करने की अनुमति प्रदान करे। इसके बजाय, उच्च न्यायालय ने उत्तरवादीगण द्वारा दिए गए सुझाव को स्वीकार कर लिया है, जिसका प्रभाव छिंदवाड़ा ग्राम में प्रचलित एक प्रथा को विस्थापित करने का है, जो दशकों से ग्राम पंचायत को भी स्वीकार्य थी।

परिणामस्वरूप, ग्राम के सभी समुदायों के मध्य सद्भाव था परंतु अपीलार्थी के पिता की मृत्यु, जो ग्राम में पादरी थे, ने ग्राम में वैमनस्यता को जन्म दिया है क्योंकि ग्राम पंचायत द्वारा इसका एक सौहार्दपूर्ण उपाय ढूंढकर उचित समाधान नहीं किया गया है।

22.10 ग्राम पंचायत अपीलार्थी के पिता की मृत्यु के 24 घंटे के भीतर उनके अंतिम संस्कार को सुनिश्चित करने के अपने कर्तव्य से विमुख हो गया है। इसके बजाय, पंचायत पक्ष लेता रहा है, जिसके कारण अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय एवं अंततः इस न्यायालय की शरण ली। यदि ग्राम पंचायत ने *“आक्रामक आपत्तियों”* और *“अपीलार्थी के परिवार को दी गई धमकियों”* को शांत किया होता, तो प्रकरण ग्राम में ही सुलझ जाता। इसके बजाय, अतिरिक्त पुलिस निरीक्षक, बस्तर के शपथपत्र में कथन किया गया है कि *“कोई भी व्यक्ति जिसने समुदाय की परंपरा को त्याग किया हो या ईसाई बन गया हो, उसे ग्राम के कब्रिस्तान में दफन की अनुमति नहीं है”*। उत्तरवादीगण द्वारा की गई यह घोषणा दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरे विचार से, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन है, जो विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण की बात करते हैं और साथ ही धर्म के आधार पर विभेद पर कठोर प्रतिषेध लगाते हैं।

सुलभ संदर्भ हेतु, अनुच्छेद 14 व 15(1) निम्नानुसार उद्धृत किए गए हैं:

“14. विधि के समक्ष समता- राज्य, भारत के राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।

15. धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद या प्रतिषेध- (1) राज्य, किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। ”

22.11 जो समस्या ग्राम स्तर पर सौहार्दपूर्ण हल की जा सकती थी, उसे अब उत्तरवादी-प्राधिकारियों द्वारा एक अलग ही रंग दे दिया गया है। उत्तरवादीगण की ओर से इस प्रकार की अभिवृत्ति ने ग्राम में निवास करने वाले समस्त नागरिकों के प्रति उनकी जिम्मेदारी से विश्वासघात किया है तथा शत्रुतापूर्ण विभेद और विभाजन की बू आती है और यह धारणा देता है कि ग्राम के कुछ निश्चित वर्गों के साथ विभेद किया जा सकता है। यह ज्ञात नहीं है कि किस अधिकार के अन्तर्गत अभिसाक्षी द्वारा ऐसी घोषणा की गई होगी, जो बस्तर के अतिरिक्त पुलिस निरीक्षक हैं और जिनका कर्तव्य विधि एवं व्यवस्था बनाए रखना और समाज में शांति व सद्भाव सुनिश्चित करना है। ऐसी घोषणा का आधार क्या है? स्थानीय प्राधिकारियों की ओर से, ग्राम स्तर या उच्च स्तर पर इस प्रकार का अभिवृत्ति धर्मनिरपेक्षता के उदात्त सिद्धांतों और हमारे देश की गौरवशाली परंपराओं के साथ विश्वासघात को दर्शाता है, जो *“सर्व धर्म समन्वय/सर्व धर्म*

सम्भाव" में विश्वास करता है जो धर्मनिरपेक्षता का सार है। हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता एवं बन्धुत्व की अवधारणा सभी धार्मिक आस्थाओं के मध्य सद्भाव का प्रतिबिंब है, जो देश में समान बन्धुत्व तथा सामाजिक ताने-बाने की एकता को बढ़ावा देती है। अतः सभी नागरिकों व संस्थाओं, चाहे वे शासकीय हों या अन्य, का यह दायित्व है कि वे नागरिकों के मध्य बंधुत्व को बढ़ावा दें। नागरिकों के मध्य भाईचारा और बंधुत्व ही देश को सशक्त और अधिक एकजुट बनाएगा, क्योंकि देश को विविधता एवं एकता की आवश्यकता है।

22.12 यह भी अवधारित किए जाने की आवश्यकता है कि इस प्रकरण के विशिष्ट तथ्यों तथा परिस्थितियों में, अपीलार्थी की शिकायत उत्तरवादी क्रमांक 9-ग्राम पंचायत द्वारा ईसाई धर्म को मानने वाले महारा समुदाय के लोगों के लिए दफन के लिए स्थान स्वीकृत करने के उनके कर्तव्य के असफल निर्वहन से उत्पन्न हुई है, चाहे वे संख्या में कितने भी कम क्यों न हों, इसके अधिकारिता में आते हैं। इससे अपीलार्थी तथा उसके परिवार का सामाजिक बहिष्कार हुआ है।

23. इस प्रकरण के विशिष्ट तथ्यों व परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए एवं विशेषतः यह विचार करते हुए कि अपीलार्थी के पिता का शव दिनांक 07.01.2025 से जिला अस्पताल के शवगृह में केवल इसलिए पड़ा है क्योंकि उत्पन्न आपत्तियों का ग्राम पंचायत द्वारा निवारण नहीं किया गया है, यह उचित व न्यायसंगत है कि उन्हें ससम्मान अंतिम संस्कार प्रदान किया जाए।

24. हमने अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कोलिन गोंजाल्विस, विद्वान सॉलिसिटर जनरल, विद्वान महाधिवक्ता तथा उत्तरवादी (गण)-राज्य व अन्य की ओर से उपस्थित अन्य अधिवक्तागण को सुना है तथा विशेष अनुमति याचिका/अपील के मेमोरेंडम तथा उत्तरवादी उत्तरवादी (गण) -राज्य व अन्य प्राधिकारियों की ओर से प्रस्तुत तीनों शपथपत्रों तथा अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत दो अतिरिक्त शपथपत्रों का सूक्ष्मतापूर्वक परिशीलन किया है। इस प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित करके न्याय के हित को सर्वोत्तम रूप से पूर्ण किया जा सकता है। यह उत्तरवादी-अभिसाक्षी द्वारा दिनांक 19.01.2025 को प्रस्तुत शपथपत्र के पैरा '13' में किए गए कथन तथा इस प्रकरण के विशिष्ट तथ्यों व परिस्थितियों को विचार में रखते हुए किया गया है। उत्तरवादीगण के अनुसार भी, यदि कोई निर्दिष्ट दफन स्थल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में निजी भूमि पर दफन की अनुमति प्रदान की जाती है। उत्तरवादी-ग्राम पंचायत का प्रकरण यह है कि ईसाई समुदाय के लिए कब्रिस्तान का कोई औपचारिक निर्दिष्ट नहीं है, अतः उस समुदाय के सदस्यों को अपनी निजी भूमि में अपने मृतकों को दफन की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी के पिता का शव विगत तीन सप्ताह दिनांक 07.01.2025 से शवगृह में पड़ा हुआ है और वह एक सभ्य एवं ससम्मान अंतिम संस्कार का हकदार है। अतः, निर्देश निम्नानुसार हैं:

(i) अतः अपीलार्थी को यथाशीघ्र अपने पिता का अंतिम संस्कार छिंदवाड़ा ग्राम में अपनी निजी कृषि भूमि पर करने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

(ii) यद्यपि, अपीलार्थी अपने पिता को अपनी निजी भूमि पर दफन की अनुमति का विधिक या अन्यथा कोई लाभ नहीं उठाएगा।

(iii) चूंकि अपीलार्थी के पिता की मृत्यु ने दफन स्थल को लेकर अप्रिय विवाद को जन्म दिया है, अतः हम उत्तरवादी क्रमांक 3 से 9 को अपीलार्थी तथा उसके परिवार को यथाशीघ्र अपने पिता का अंतिम संस्कार छिंदवाड़ा ग्राम में अपनी निजी कृषि भूमि पर करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान करने का निर्देश देते हैं।

(iv) यह अवधारित किया जाता है कि इस प्रकरण के विशिष्ट तथ्यों को विचार में रखते हुए उपरोक्त निर्देशों के कार्यान्वयन में शीघ्रता लाई जानी चाहिए क्योंकि अपीलार्थी के पिता का शव दिनांक 07.01.2025 से शवगृह में है।

(v) उत्तरवादी-राज्य तथा उनके स्थानीय प्राधिकारियों को विधि सम्मत सम्पूर्ण राज्य में ईसाइयों के दफन हेतु कब्रिस्तान के रूप में विशेष स्थानों का सीमांकन करने का निर्देश दिया जाता है। यह निर्देश वर्तमान प्रकरण जैसे विवादों से बचने के लिए जारी किया जा रहा है। यह कार्य आज से दो माह की अवधि के भीतर किया जाएगा। यह निर्देश नियमों के नियम 5 व नियम 8 को विचार में रखते हुए जारी किया गया है।

(vi) यद्यपि, सर्वसम्मति से, हमने न्यायालय के आदेशानुसार कुछ निर्देश जारी किए हैं, फिर भी, उत्तरवादी-राज्य व उसके प्राधिकारियों द्वारा उपरोक्त निर्देश पांच का परिपालन संविधान के अनुच्छेद 142 के अधीन जारी निर्देशों के विपरीत किया जाएगा।

5. इस न्यायालय के हाल के एक निर्णय का संदर्भ देते हुए निष्कर्ष निकाला जाता है:

अश्विनी कुमार उपाध्याय विरुद्ध भारत संघ, (2023) 8 एससीसी 402, पैरा 12 में, इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित अवधारित किया गया:

12. किसी भी राष्ट्र का इतिहास उस राष्ट्र की भावी पीढ़ियों को इस हद तक परेशान नहीं कर सकता कि आने वाली पीढ़ियाँ अतीत की बंदी बन जाएँ। बंधुत्व का स्वर्णिम सिद्धांत जो प्रस्तावना में भी निहित है, सबसे महत्वपूर्ण है और सभी हितधारकों को निरंतर स्मरण दिलाने के लिए प्रस्तावना में इसका स्थान उचित ही है कि विभिन्न वर्गों के मध्य सद्भाव बनाए रखने से ही राष्ट्रवाद की सत्य धारणा को आत्मसात किया जा सके और राष्ट्र के व्यापक हित के लिए सभी वर्गों को एक साथ जोड़ा जा सके और अंततः एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की जा सके। हमें निरंतर स्वयं को स्मरण दिलाना चाहिए कि न्यायालय को, वास्तव में "राज्य" के हर हिस्से की तरह, इस उत्कृष्ट अनुभूति से निर्देशित होना चाहिए कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जो संविधान में परिकल्पित सभी वर्गों के मूल अधिकारों को संरक्षित करने हेतु प्रतिबद्ध है।"

बिजो इमैनुएल विरुद्ध केरल राज्य, (1986) 3 एससीसी 615 में ओ. चिन्नाप्पा रेड्डी, न्यायमूर्ति के शब्दों को भी स्मरण किया जा सकता है:

"हमारी परंपरा सहिष्णुता सिखाती है; हमारा दर्शन सहिष्णुता का उपदेश देता है; हमारा संविधान सहिष्णुता का पालन करता है; हमें इसे कमजोर नहीं करना चाहिए।"

महात्मा गांधी के शब्दों को स्मरण करना भी उचित होगा:

"हमारा शरीरधारी अस्तित्व क्षण भर का है; शाश्वत काल में सौ वर्ष क्या हैं? परंतु यदि हम अहंकार की बेड़ियों को तोड़ दें, और मानवता के सागर में घुलमिल जाएँ, तो हम गरिमा में भागीदार होते हैं..."

राज्य तथा उनके प्राधिकारियों को इन बहुमूल्य विचारों के महत्व को समझना चाहिए।

उच्च न्यायालय का आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाता है।

परिणामस्वरूप, उपरोक्त शर्तों सहित अपील का निपटान किया जाता है।

.....न्यायमूर्ति

(बी. वी. नागरत्ना)

नई दिल्ली

27 जनवरी, 2025

प्रतिवेद्य

भारत का उच्चतम न्यायालय

सिविल अपीलीय अधिकारिता

सिविल अपील क्रमांक _____/2025

[विशेष अनुमति याचिका (सिविल) क्रमांक 1399/2025 से प्रोद्भूत]

रमेश बघेल

...अपीलार्थी

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य

...उत्तरवादीगण

निर्णय

सतीश चंद्र शर्मा, न्यायमूर्ति

1. स्वीकार किया गया ।

2. मैंने अपनी आदरणीय बहन, माननीय न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना द्वारा लिखित विद्वत् अभिमत का सूक्ष्मतापूर्वक परिशीलन किया है। यद्यपि, यथातथ्य प्रयत्न के बावजूद, मैं इसमें पारित निर्देशों से सहमत होने में असमर्थ हूँ। अतः यह भिन्न अभिमत है।

उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही

3. वर्तमान कार्यवाही(याँ) यहाँ अपीलार्थी द्वारा माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर ("उच्च न्यायालय") के समक्ष प्रस्तुत रिट याचिका क्रमांक 152/2025 से उद्भूत है, जिसके अन्तर्गत अपीलार्थी अर्थात् स्व. सुभाष बघेल के पुत्र ने निम्नानुसार अनुतोष की मांग की है:

" 10.1) यह कि माननीय न्यायालय कृपया न्याय के हित में एक परमादेश रिट या कोई अन्य उपयुक्त रिट जारी करने की कृपा करे, जिसमें उत्तरवादीगण को निर्देशित किया जाए कि वे याचिकाकर्ता तथा उसके परिवार को अपने पिता के पार्थिव शरीर का अंतिम

संस्कार ईसाई धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार, ग्राम छिंदवाड़ा तहसील व थाना दरभा, जिला बस्तर (छ.ग.) में स्थित ग्राम के सामान्य कब्रिस्तान में ईसाइयों के लिए सीमांकित क्षेत्र में करने की अनुमति प्रदान करें।

10.2) यह कि माननीय न्यायालय कृपया इस प्रकरण में उल्लिखित विशिष्ट तथ्यों के दृष्टिगत एक परमादेश रिट या कोई अन्य उपयुक्त रिट जारी करने की कृपा करे, जिसमें उत्तरवादीगण को निर्देशित किया जाए कि वे अपने पिता के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार ईसाई धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार, ग्राम छिंदवाड़ा तहसील व थाना दरभा, जिला बस्तर (छ.ग.) में स्थित ग्राम के सामान्य कब्रिस्तान में ईसाइयों के लिए सीमांकित क्षेत्र में करने की प्रदान करें। इसके अतिरिक्त, विशेष अनुमति याचिका (सिविल) क्रमांक 1399/2025 के अन्तर्गत धमकी जारी रहने तक उत्तरवादीगण को याचिकाकर्ता तथा उसके परिवार को न्याय के हित में पुलिस सुरक्षा प्रदान करने हेतु निर्देश देने का आदेश पारित करें।

10.3) कोई अन्य अनुतोष जो यह माननीय न्यायालय प्रकरण की वर्तमान परिस्थितियों में न्याय के हित में उचित समझे”

("अंतर्निहित रिट याचिका")

4. अपीलार्थी द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष मूल रिट याचिका में प्रस्तुत प्रकरण निम्नानुसार था:

(क) अपीलार्थी ने तर्क किया कि वह अपोस्टोलिक चर्च से संबंधित तृतीय पीढ़ी का ईसाई है। अपीलार्थीगण के पिता अर्थात् स्व. सुभाष बघेल को 1986-1987 के मध्य पादरी बनाया गया था और तब से वे अपने ग्राम में स्थित चर्च की धार्मिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं ("मृतक")।

(ख) छिंदवाड़ा ग्राम में एक कब्रिस्तान स्थित है जो विभिन्न संप्रदायों को आवंटित है, अर्थात् (i) आदिवासी समुदाय; (ii) हिंदू समुदाय; तथा (iii) ईसाई समुदाय; ("विषयग्रस्त कब्रिस्तान") एवं तदनुसार, अपीलार्थीगण के रिश्तेदारों अर्थात् स्व. शांति बघेल एवं अपीलार्थीगण के दादा - स्व. लखेश्वर बघेल को विषयग्रस्त कब्रिस्तान में दफनाया गया है।

(ग) इस संदर्भ में, यह कथन किया गया कि अपीलार्थीगण के पिता का निधन दिनांक 07.01.2025 को सुबह 7:00 बजे दीर्घकालिक बीमारी व अन्य आयु संबंधी बीमारी के कारण हो गया। अपीलार्थीगण के पिता के निधन के उपरांत, परिवार ने विषयग्रस्त कब्रिस्तान के "ईसाई वर्ग" में अंतिम संस्कार अर्थात् दफनाने का विचार किया।

(घ) परिवार द्वारा लिए गए उपरोक्त निर्णय के अनुसार, यह तर्क किया गया कि मृतक को विषयग्रस्त कब्रिस्तान अर्थात् हिंदू आदिवासियों के दफन करने के लिए निर्दिष्ट स्थल पर दफनाने के खिलाफ ग्रामीणों द्वारा उठाई गई आपत्ति के कारण अपीलार्थी के परिवार को कई धमकियां दी गईं।

(ङ.) उपरोक्त के दृष्टिगत, यह तर्क किया गया कि मृतक का शव जगदलपुर स्थित चिकित्सा महाविद्यालय के शवगृह में रखे गए हैं; एवं इस प्रकार, अपीलार्थी ने विषयग्रस्त कब्रिस्तान के "ईसाई वर्ग" में मृतक के सम्मानजनक व उचित अंतिम संस्कार को सुनिश्चित करने के लिए सुसंगत प्राधिकारियों से सुरक्षा एवं सहायता की मांग की।

5. दूसरी ओर, उत्तरवादी राज्य ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपीलार्थी के तर्कों का विरोध किया और तर्क किया कि विषयग्रस्त कब्रिस्तान केवल हिंदुओं के लिए है; और विषयग्रस्त कब्रिस्तान के परिसर में किसी भी "ईसाई वर्ग" की उपस्थिति के संबंध में अपीलार्थीगण के तर्क को खारिज कर दिया। तदनुसार, यह तर्क किया गया कि अपीलार्थी करकापाल ग्राम में ईसाई समुदाय के लोगों के लिए विशेष रूप से निर्दिष्ट एक कब्रिस्तान पर मृतक का अंतिम संस्कार कर सकता है, जो कि **छिंदवाड़ा** अर्थात् अपीलार्थीगण के गृहग्राम से 20-25 किलोमीटर की दूरी पर है।

6. मूल रिट याचिका ('आक्षेपित आदेश') में दिनांक 09.01.2025 के आदेशानुसार, उच्च न्यायालय ने पक्षकारों के परस्पर विरोधी तर्कों को सुनने के बाद मूल रिट याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अपीलार्थी द्वारा की गई प्रार्थना (i) छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत (शवों, पशु-शवों और अन्य घृणास्पद पदार्थों के व्ययन के लिए स्थानों का विनियमन) नियम, 1999; और (ii) छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 के सख्त विपरीत है - क्योंकि इसमें विशेष रूप से निर्दिष्ट क्षेत्रों के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर शवों का दाह संस्कार या दफनाने पर विशेष प्रतिषेध है। इसके अतिरिक्त, इसमें यह भी अवधारित किया गया कि पास के क्षेत्र में ईसाई समुदाय के सदस्यों के लिए विशेष रूप से सीमांकित एक दफन स्थल उपलब्ध थी; एवं तदनुसार, अपीलार्थी को अंतर्निहित रिट याचिका द्वारा मांगी गई अनुतोष

प्रदान करना उचित नहीं होगा क्योंकि इससे सामान्य नागरिकों में अशांति और असामंजस्य उत्पन्न हो सकता है।

इस माननीय न्यायालय के समक्ष कार्यवाही

7. उपरोक्त से व्यथित होकर, अपीलार्थी ने विशेष अनुमति याचिका (सिविल) क्रमांक 1399/2025 अर्थात्, अब यह वर्तमान अपील, दिनांक 17.01.2025 को पारित आक्षेपित आदेश की औचित्यता को प्रश्नगत करते हुए प्रस्तुत की है। इस माननीय न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया:

“उत्तरवादीगण को सूचना जारी किया।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को प्रथम उत्तरवादी-राज्य के स्थायी अधिवक्ता को सूचना प्रेषित करने की भी अनुमति दी गई है।

विद्वान अधिवक्ता, श्री प्रशांत सिंह जो न्यायालय में उपस्थित हैं, उत्तरवादीगण की ओर से सूचना स्वीकार किया हैं।

अतः, प्रकरण को दिनांक 20.01.2025 को सूचीबद्ध किया गया।

8. दिनांक 20.01.2025 को, उत्तरवादी राज्य की ओर से उपस्थित भारत के विद्वान सॉलिसिटर जनरल द्वारा किए गए अनुरोध पर, प्रकरण को दिनांक 22.01.2025 तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

9. दिनांक 22.01.2025 को, अंतर्निहित सूची की अविलंबिता को दृष्टिगत रखते हुए, अपीलार्थी द्वारा मांगे गए अनुतोष पर निर्णय/आदेश सुरक्षित रखा गया।

पक्षकारों की प्रस्तुतियाँ

10. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कॉलिन गोंसाल्वेस ने निम्नानुसार तर्क किया:

(क) विषयग्रस्त कब्रिस्तान को विभिन्न समुदायों के लोगों के लिए पृथक-पृथक निर्दिष्ट क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिसमें आदिवासी समुदाय के लोग, हिंदू समुदाय के लोग और ईसाई समुदाय के लोग शामिल हैं;

(ख) ग्राम पंचायत से प्राप्त मौखिक अनुमति के अनुसार, विषयग्रस्त कब्रिस्तान के भीतर ईसाई समुदाय के लोगों के लिए एक क्षेत्र सीमांकित किया गया था;

(ग) उपर्युक्त तर्कों के पुष्टि हेतु, श्री गोंसाल्वेस ने विषयग्रस्त कब्रिस्तान के "ईसाई वर्ग" की उपस्थिति के संबंध में अपने दावे का समर्थन करने के लिए कुछ तस्वीरों, तृतीय पक्षकारों के शपथपत्रों एवं एक हस्त-निर्मित नक्शे की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया;

(घ) विषयग्रस्त कब्रिस्तान के "ईसाई वर्ग" में मृतक के शव को दफनाने से रोकने वाले ग्रामीणों का कृत्य मूल अधिकारों का उल्लंघन था, जिसमें 'मृत्यु में सम्मान का अधिकार' शामिल है, परंतु उस तक सीमित नहीं है;

(ङ.) यह कि अपीलार्थी को मृतक के शव को करकापाल ग्राम में ईसाई समुदाय के लोगों के लिए विशेष रूप से निर्दिष्ट कब्रिस्तान में दफनाने का निर्देश दिया गया है, जो कि अपीलार्थी के गृह ग्राम **छिंदवाड़ा** से 20-25 किलोमीटर की दूरी पर है – यह उसके मूल अधिकार का उल्लंघन है;

(च) वैकल्पिक रूप से, यह तर्क किया गया कि अपीलार्थी को मृतक के शव को अपनी भूमि में दफनाने की अनुमति प्रदान की जाए।

11. उत्तरवादी राज्य की ओर से उपस्थित भारत के विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता ने निम्नानुसार तर्क किया:

(क) जनजातीय समुदाय के लोग उत्तरवादी-राज्य की जनसांख्यिकी का एक वृहत भाग हैं। जनजातीय समुदाय के उक्त सदस्य अपने मृतक सदस्यों को पारंपरिक रूप से "हिंदू जनजातीय दफन स्थलों" पर दफनाते हैं – और विषयगत दफन स्थल हिंदू जनजातीय समुदाय से संबंधित मृतक व्यक्तियों के शवों के लिए एक ऐसा निर्दिष्ट स्थल है।

(ख) श्री मेहता ने रेखांकित किया कि कुछ उप-संप्रदाय के व्यक्ति ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए हैं, यद्यपि उनकी संख्या विरल है – औसतन, लगभग 6,000 (छह हजार) लोगों की आबादी वाले ग्राम में, केवल 100 (एक सौ) व्यक्ति ईसाई समुदाय के हैं। तदनुसार, 3 (तीन)

- 4 (चार) ऐसे गांवों के प्रत्येक समूह के लिए, उत्तरवादी राज्य ने समुदाय के सभी ईसाई लोगों के लिए चिन्हित दफन स्थल का सीमांकन / निर्दिष्ट किया है। वर्तमान प्रकरण की ओर लौटते हुए, यह तर्क किया गया कि (i) ग्राम छिंदवाड़ा; (ii) ग्राम मुंगा; (iii) ग्राम तीरथगढ़; (iv) ग्राम दरभा; और (v) ग्राम करकापाल के ईसाई समुदाय से संबंधित सभी व्यक्तियों ने अपने पूर्वजों के शवों को करकापाल ग्राम में ईसाई समुदाय के व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से निर्दिष्ट कब्रिस्तान में दफनाया था, जो खसरा क्रमांक 9/94 में 1.96 एकड़ में स्थित है, जिसे आगे बढ़ाकर 2.15 एकड़ कर दिया गया है।

(ग) श्री मेहता ने इस तथ्य पर बल दिया कि हिंदू आदिवासी, ईसाई व मुस्लिम सहित समस्त समुदायों के लिए दफन/दाह स्थल वैधानिक नियमों के अधीन शासित होते हैं। उक्त नियम यह सुनिश्चित करते हैं कि निर्दिष्ट स्थानों का उपयोग इस प्रकार से किया जाए जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 व अनुच्छेद 25 के अधीन मृतक के अधिकारों के प्रति सम्मानजनक हो।

(घ) यह पूरजोर तर्क किया गया कि दफन के अधिकार सामुदायिक प्रथाओं के साथ संरेखित होते हैं जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के अधीन संरक्षित हैं – तदनुसार, यह तर्क किया गया कि विशिष्ट समुदायों के लिए निर्दिष्ट दफन स्थलों पर अन्य समुदायों या धर्मों से संबंधित व्यक्ति (व्यक्तियों) को दफनाने का दावा नहीं किया जा सकता है।

(ङ.) श्री मेहता ने यह स्वीकार करते हुए कि दफन से संबंधित धार्मिक प्रथाओं सहित अंतिम संस्कार से संबंधित प्रकरण भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 व अनुच्छेद 25 के अधीन संरक्षित हैं, तर्क किया कि संरक्षण व्यक्तिगत व्यक्तियों की मनमानी मांगों तक विस्तारित नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, ऐसी कोई भी मांग / कार्य सदैव लोक व्यवस्था की केविएट के अधीन होगा।

(च) इस संदर्भ में, यह तर्क किया गया कि, यदि अपीलार्थी को मृतक के शव को विषयग्रस्त कब्रिस्तान में दफनाने की अनुमति प्रदान की जाती है, तो धरातल पर लोक व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अतीत में कभी-कभार हुए विचलन (यदि कोई हो) स्थान के प्राथमिक प्रयोजन या सामुदायिक अधिकारों को परिवर्तित नहीं सकते हैं।

(छ) छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत (शव, पशु-शव और अन्य घृणास्पद पदार्थों के व्ययन के लिए स्थानों का विनियमन) नियम, 1999 के नियम 8 का अवलंब लेते हुए तर्क किया गया कि मृतक को अपनी निजी भूमि में दफनाने की अपीलार्थीगण की वैकल्पिक तर्क, वैधानिक नियमों के विपरीत है, जिसमें कानून का बल है।

(ज) अंत में, श्री मेहता ने तर्क किया कि उत्तरवादी राज्य, विवाद को हल करने के आशय से अपीलार्थी को मृतक के शव को करकापाल ग्राम में ईसाई समुदाय के लोगों के लिए विशेष रूप से निर्दिष्ट दफन स्थल तक ले जाने के लिए एम्बुलेंस प्रदान करने हेतु तत्पर एवं रजामंद है; और आगे सुरक्षा प्रदान करने का वचन दिया (यदि राज्य प्राधिकारियों द्वारा आवश्यक समझा जाता है।

12. अपीलार्थी ने मृतक के शव को ले जाने के लिए एम्बुलेंस उपलब्ध कराने के लिए उत्तरवादी राज्य द्वारा दिए गए प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।

13. तर्क के दौरान, उत्तरवादी राज्य को करकापाल ग्राम में ईसाई समुदाय के लोगों के लिए निर्दिष्ट दफन स्थल के विवरण को अभिलेख पर प्रस्तुत करने हेतु एक शपथपत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। उत्तरवादी राज्य ने 22.01.2025 को एक शपथपत्र अभिलेख पर प्रस्तुत किया है, जिसके अन्तर्गत करकापाल ग्राम के खसरा क्रमांक 9/94 में स्थित एक स्थान, जो लगभग 2.15 एकड़ (आस-पास की भूमि के उपयोग सहित) है, को ईसाई समुदाय के लोगों के लिए निर्दिष्ट दफन स्थल (निर्दिष्ट ईसाई दफन स्थल) बताया गया है।

14. इस प्रकार, इस समय, इस न्यायालय को इस तथ्य के दृष्टिगत पक्षकारों के मध्य गतिरोध का समाधान करने का कार्य सौंपा गया है कि मृतक का शव 15 (पंद्रह) दिवस की दीर्घ अवधि से जगदलपुर स्थित चिकित्सा महाविद्यालय में पड़ा हुआ है।

विश्लेषण एवं निर्देशन

15. परस्पर विरोधी तर्कों पर अपने गहन विचार-विमर्श के उपरांत, विवाद का केंद्रबिंदु यह प्रतीत होता है कि क्या किसी के अपने विशिष्ट धर्म या रीति-रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार करने के मूल अधिकार में वह "स्थान" भी शामिल होगा, जहाँ ऐसे समारोह आयोजित होने वाले हैं; और इस प्रकार,

वर्तमान विवाद के संदर्भ में — क्या यह अधिकार है कि वह पूर्णतया या एकपक्षीय रूप से दफ़न स्थल चुन सके?

16. इस समयबिंदु पर, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 49(12) सहपठित धारा 95 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तरवादी राज्य द्वारा प्रतिपादित सुसंगत नियमों का संदर्भ लेना महत्वपूर्ण होगा, अर्थात् छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत (शवों, पशु-शवों व अन्य घृणास्पद पदार्थों के व्ययन के लिए स्थानों का विनियमन) नियम, 1999 (छत्तीसगढ़ नियम)।

छत्तीसगढ़ नियम के नियम 3, 4, 5 व 8 वर्तमान विवाद हेतु सुसंगत हैं, जिन्हें निम्नानुसार पुनः उद्धृत किया गया है:

“3. शव का 24 घंटे के भीतर व्ययन—

(1) जब ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर किसी स्थान पर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाये, तो ऐसे स्थान का अधिभोगी या स्वामी अपनी पूरी सामर्थ्य से, मृतक व्यक्ति के रिश्तेदारों या अन्य व्यक्तियों के द्वारा, मृतक के धर्म की रूढ़ि के अनुसार शव को गाड़ने, जलाने या अन्यथा व्ययन किए जाने के लिए मृत्यु होने के 24 घण्टे के भीतर ग्राम पंचायत के सरपंच या सचिव को या ऐसे व्यक्ति को, जिसे ग्राम पंचायत इस निमित्त नियुक्त करे, इस तथ्य की रिपोर्ट करेगा।

(2) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो इस बात से अवगत हो कि किसी स्थान पर कोई शव उपेक्षित पड़ा है, तत्क्षण ग्राम पंचायत के सरपंच या ऐसे व्यक्ति को, जिसे ग्राम पंचायत इस निमित्त नियुक्त करे और उस स्थान के अधिभोगी या स्वामी को भी इस तथ्य की रिपोर्ट देगा।

(3) इस नियम में कोई भी बात ऐसे किसी मामले को लागू नहीं होगी, जहां मृतक का शरीर न्यायिक या पुलिस जांच के लिए आपेक्षित हो।

4. ग्राम पंचायत शव के व्ययन की व्यवस्था करेगी—

(1) नियम 3 के उपनियम (2) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने पर ग्राम पंचायत शव के व्ययन की व्यवस्था करेगी।

(2) ऐसे व्ययन में हुए व्यय को मृतक के वारिसों से, यदि कोई हों, अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय कर की बकाया की भांति वसूल किये जायेंगे।

(3) यदि ऐसे वारिस ना हों, तो व्यय ग्राम पंचायत द्वारा वहन किया जाएगा।

5. शवों के व्ययन हेतु स्थान-

ग्राम पंचायत द्वारा सम्यक् रूप से ग्राम में प्रकाशित लिखित आदेश द्वारा अनुमोदित स्थान से भिन्न स्थान, जो शमशान घाट हो या जो कब्रिस्तान हो या शासन द्वारा अवधारित हो या शासकीय अभिलेखों में स्थान हो, से भिन्न स्थान में शव को जलाकर, गाड़कर या उसके अन्यथा व्ययन के लिये उपयोग में नहीं लाया जायेगा।

X-X-X

8. कब्र खोदना – किसी भी कब्र से एक मीटर के फासले के भीतर या ग्राम पंचायत द्वारा इस प्रयोजन के लिए चिन्हित स्थान के बाहर नहीं खोदी जायेगी।”

17. छत्तीसगढ़ नियमों के परिशीलन से ज्ञात हुआ कि कब्रों का निर्माण मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता है; और उन्हें ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हित निर्दिष्ट क्षेत्रों में स्थापित किया जाना चाहिए। इसके पीछे तर्क अत्यंत तार्किक प्रतीत होता है – चिन्हित क्षेत्रों का निर्दिष्ट अंतिम संस्कार करने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया सुनिश्चित करने के एक लाभकारी प्रयोजन की पूर्ति करता है, साथ ही आसपास की संवेदनशीलताओं का भी उचित सम्मान करता है, परंतु महत्वपूर्ण रूप से इसमें लोक स्वास्थ्य का पहलू भी शामिल है।¹ प्रत्येक ग्राम में प्रत्येक समुदाय के लिए निर्दिष्ट क्षेत्रों को चिह्नित करना एक विकासवादी प्रक्रिया है जो परिपूर्ण और धीमी गति से चलने वाली नहीं है, यद्यपि, यह मानव जीवन के पहलुओं को नाजुक ढंग से संभालने का प्रयात्न करती है, और इससे परे पर्याप्त न्यायिक ध्यान दिया जाना चाहिए। इस प्रकार, सम्मानपूर्वक, मैं छत्तीसगढ़ नियमों के नियम 8 के अधीन निहित प्रतिषेध को दूर करने हेतु भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के अधीन हमारे न्यायसंगत अधिकारिता का प्रयोग करने की आवश्यकता की विवेचना करने में असमर्थ हूँ; और अपीलार्थी को मृतक के शव को उसकी निजी भूमि पर दफनाने की अनुमति प्रदान की जाए, विशेषतः इस तथ्य के दृष्टिगत कि एक निर्दिष्ट दफन स्थल आसपास के क्षेत्र में उपलब्ध है, अर्थात्, केवल 20-25 किलोमीटर दूर ग्राम करकापाल में।

18. इस तथ्य के विषय में कोई संदेह नहीं हो सकता है कि अंतिम संस्कार से संबंधित प्रक्रियाएं; और इसमें सम्मिलित समारोह, भारत के संविधान के भाग III के अधीन संरक्षित अधिकार(ओं) का एक भाग

¹ पर्यावरण और लोक स्वास्थ्य पर कब्रिस्तानों का प्रभाव, WHO, EUR/ICP/EHNA010401(A)

हैं। यद्यपि, यह दावा करना कि ऐसे अधिकार(ओं) में ऐसे समारोह (दफ़न सहित) के लिए **“स्थान”** चयन का बिना शर्त अधिकार सम्मिलित होगा, प्रथम दृष्टया संवैधानिक सीमाओं को उस सीमा से परे खींचता हुआ प्रतीत होगा जो परिकल्पित की गई थी। यह सुस्थापित है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन संरक्षित अधिकार(अधिकार) **“विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया”** के अधीन हैं, जिसे न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित होना आवश्यक है।² इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 25 के अधीन धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने का अधिकार, पूर्व दृष्टया **“लोक व्यवस्था”** के अधीन है³; और अनुच्छेद 25 का उप-खंड 2 राज्य को धार्मिक आचरण से संबंधित विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों के विनियमन का प्रावधान करती है।⁴ इस प्रकार, अनुच्छेद 21 व अनुच्छेद 25 के अधीन किसी व्यक्ति के दफनाने के यथातथ्य **“स्थान”** के संबंध में पूर्ण या बिना शर्त अधिकार का दावा करना, प्रथम दृष्टया, विवेकपूर्ण प्रतीत होता है। बहरहाल, किसी व्यक्ति/समुदाय को अन्य बातों के साथ-साथ दफन सहित अंतिम संस्कार करने के लिए स्थान देने से पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता—इसके विपरीत, राज्य का कर्तव्य है कि वह सभी धार्मिक समुदायों के लोगों को तर्क और तर्कसंगतता की सीमाओं के भीतर अंतिम संस्कार करने के लिए चिन्हित स्थान प्रदान करे। वर्तमान प्रकरण में, उत्तरवादी राज्य ने हमें ईसाई समुदाय के लोगों के लिए एक चिन्हित दफन स्थल की सूचना दी है, अर्थात् मृतक के पैतृक ग्राम से महज 20-25 किमी की दूरी पर करकापाल ग्राम में स्थित निर्दिष्ट ईसाई दफन स्थल। इसके दृष्टिगत, मुझे कोई कारण प्रतीत नहीं होता कि अपीलार्थी को मृतक के यथातथ्य दफन स्थल के संबंध में पूर्ण या बिना शर्त अधिकार का दावा करने की अनुमति क्यों प्रदान की जानी चाहिए।

19. यह न्यायालय अपने जिम्मेदारी के प्रति सचेत है और संभावित **“लोक व्यवस्था”** के उल्लंघन के व्यापक व भ्रामक दावों से दिग्भ्रमित होना नहीं चाहेगा, यद्यपि, वर्तमान प्रकरण में, यह नहीं कहा जा सकता है कि उत्तरवादी राज्य ने **“लोक व्यवस्था”** के तर्क को एक छल के रूप में प्रस्तुत किया है। **“लोक व्यवस्था”** का संरक्षण सर्वोपरि है और समाज के व्यापक हित में है। तदनुसार, अंतर्निहित संवेदनशीलताओं पर व्याख्या किए बिना, तथा मृतक को एक सभ्य एवं ससम्मान अंतिम संस्कार प्रदान करने के प्रयोजन से, निम्नलिखित निर्देश न्यायसंगत, निष्पक्ष एवं युक्तियुक्त प्रतीत होते हैं:

(क) अपीलार्थी तथा उसके परिवार को मृतक के शव को दफनाने के लिए करकापाल ग्राम स्थित निर्दिष्ट ईसाई कब्रिस्तान के भीतर एक उपयुक्त स्थल उपलब्ध कराया जाए;

2 मेनका गांधी विरुद्ध भारत संघ, 1978 एससीआर (2) 621; तथा के.एस. पुट्टास्वामी बविरुद्ध भारत संघ, (2017) 10 एससीसी 1

3 रेव. स्टैनिस्लॉस विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य, (1977) 1 एससीसी 677

4 श्री वेंकटरमण देवारु विरुद्ध मैसूर राज्य, एआईआर 1958 एससी 255

(ख) उत्तरवादी राज्य को यह सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया जाता है कि मृतक के शव को जगदलपुर स्थित चिकित्सा महाविद्यालय के शवगृह से करकापाल ग्राम स्थित निर्दिष्ट ईसाई कब्रिस्तान में स्थानांतरित करने के प्रयोजन से अपीलार्थी तथा उसके परिवार को समस्त आनुषंगिक रसद सहायता प्रदान की जाए;

(ग) उत्तरवादी राज्य अपीलार्थी तथा उसके परिवार के सदस्यों को पर्याप्त पुलिस सुरक्षा प्रदान करेगा, जिसकी समीक्षा संबंधित प्राधिकारियों द्वारा 7 (सात) दिवस की अवधि के उपरांत की जाएगी;

(घ) उत्तरवादी राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपाय करेगा कि करकापाल ग्राम या छिंदवाड़ा ग्राम में कोई लोक व्यवस्था संबंधी घटना न हो; तथा

(ङ.) उत्तरवादी राज्य को यह सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया जाता है कि मृतक के शव को यथाशीघ्र दफनाया जाए। अपीलार्थी तथा उसके परिवार के सदस्यों को उत्तरवादी राज्य के प्राधिकारियों के साथ सहयोग करने हेतु निर्देशित किया जाता है, जो स्थिति को उचित संवेदनशीलता के अनुसार संभालेंगे।

20. परिणामस्वरूप, उपरोक्त शर्तों सहित अपील का निपटान किया जाता है तथा उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश को यथावत रखा जाता है।

.....न्यायमूर्ति

[सतीश चंद्र शर्मा]

नई दिल्ली

27 जनवरी, 2025

प्रतिवेद्य

भारत का उच्चतम न्यायालय

सिविल अपीलीय अधिकारिता

सिविल अपील क्रमांक _____/2025

(विशेष अनुमति याचिका (सिविल) क्रमांक 1399/2025 से प्रोद्भूत)

रमेश बघेल

...अपीलार्थी

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य

...उत्तरवादीगण

न्यायालय का आदेश

नागरत्ना, न्यायमूर्ति

1. न्यायमूर्ति नागरत्ना के निर्णय का प्रवर्तनीय भाग जो निम्नानुसार है:

“(i) अतः अपीलार्थी को यथाशीघ्र अपने पिता का अंतिम संस्कार छिंदवाड़ा ग्राम में अपनी निजी कृषि भूमि पर करने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

(ii) यद्यपि, अपीलार्थी अपने पिता को अपनी निजी भूमि पर दफन की अनुमति का विधिक या अन्यथा कोई लाभ नहीं उठाएगा।

(iii) चूंकि अपीलार्थी के पिता की मृत्यु ने दफन स्थल को लेकर अप्रिय विवाद को जन्म दिया है, अतः हम उत्तरवादी क्रमांक 3 से 9 को अपीलार्थी तथा उसके परिवार को यथाशीघ्र अपने पिता का अंतिम संस्कार छिंदवाड़ा ग्राम में अपनी निजी कृषि भूमि पर करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान करने का निर्देश देते हैं।

(iv) यह अवधारित किया जाता है कि इस प्रकरण के विशिष्ट तथ्यों को विचार में रखते हुए उपरोक्त निर्देशों के कार्यान्वयन में शीघ्रता लाई जानी चाहिए क्योंकि अपीलार्थी के पिता का शव दिनांक 07.01.2025 से शवगृह में है।

(v) उत्तरवादी-राज्य तथा उनके स्थानीय प्राधिकारियों को विधि सम्मत सम्पूर्ण राज्य में ईसाइयों के दफ़न हेतु कब्रिस्तान के रूप में विशेष स्थानों का सीमांकन करने का निर्देश दिया जाता है। यह निर्देश वर्तमान प्रकरण जैसे विवादों से बचने के लिए जारी किया जा रहा है। यह कार्य आज से दो माह की अवधि के भीतर किया जाएगा। यह निर्देश नियमों के नियम 5 व नियम 8 को विचार में रखते हुए जारी किया गया है।

(vi) यद्यपि, सर्वसम्मति से, हमने न्यायालय के आदेशानुसार कुछ निर्देश जारी किए हैं, फिर भी, उत्तरवादी-राज्य व उसके प्राधिकारियों द्वारा उपरोक्त निर्देश पांच का परिपालन संविधान के अनुच्छेद 142 के अधीन जारी निर्देशों के विपरीत किया जाएगा।"

2. न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा के निर्णय का प्रवर्तनीय भाग जो निम्नानुसार है:

"18. यह न्यायालय अपने जिम्मेदारी के प्रति सचेत है और संभावित **"लोक व्यवस्था"** के उल्लंघन के व्यापक व भ्रामक दावों से दिग्भ्रमित होना नहीं चाहेगा, यद्यपि, वर्तमान प्रकरण में, यह नहीं कहा जा सकता है कि उत्तरवादी राज्य ने **"लोक व्यवस्था"** के तर्क को एक छल के रूप में प्रस्तुत किया है। **"लोक व्यवस्था"** का संरक्षण सर्वोपरि है और समाज के व्यापक हित में है। तदनुसार, अंतर्निहित संवेदनशीलताओं पर व्याख्या किए बिना, तथा मृतक को एक सभ्य एवं ससम्मान अंतिम संस्कार प्रदान करने के प्रयोजन से, निम्नलिखित निर्देश न्यायसंगत, निष्पक्ष एवं युक्तियुक्त प्रतीत होते हैं:

(क) अपीलार्थी तथा उसके परिवार को मृतक के शव को दफनाने के लिए करकापाल ग्राम स्थित निर्दिष्ट ईसाई कब्रिस्तान के भीतर एक उपयुक्त स्थल उपलब्ध कराया जाए;

(ख) उत्तरवादी राज्य को यह सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया जाता है कि मृतक के शव को जगदलपुर स्थित चिकित्सा महाविद्यालय के शवगृह से करकापाल ग्राम स्थित निर्दिष्ट ईसाई कब्रिस्तान में स्थानांतरित करने के प्रयोजन से अपीलार्थी तथा उसके परिवार को समस्त आनुषंगिक रसद सहायता प्रदान की जाए;

(ग) उत्तरवादी राज्य अपीलार्थी तथा उसके परिवार के सदस्यों को पर्याप्त पुलिस सुरक्षा प्रदान करेगा, जिसकी समीक्षा संबंधित प्राधिकारियों द्वारा 7 (सात) दिवस की अवधि के उपरांत की जाएगी;

(घ) उत्तरवादी राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपाय करेगा कि करकापाल ग्राम या छिंदवाड़ा ग्राम में कोई लोक व्यवस्था संबंधी घटना न हो; तथा

(ङ.) उत्तरवादी राज्य को यह सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया जाता है कि मृतक के शव को यथाशीघ्र दफनाया जाए। अपीलार्थी तथा उसके परिवार के सदस्यों को उत्तरवादी राज्य के प्राधिकारियों के साथ सहयोग करने हेतु निर्देशित किया जाता है, जो स्थिति को उचित संवेदनशीलता के अनुसार संभालेंगे।

3. अपीलार्थी के पिता, जिनकी मृत्यु दिनांक 07.01.2025 को हुई थी, के दफन स्थल पर इस पीठ के सदस्यों के मध्य कोई सम्मति नहीं है। इस तथ्य को विचार में रखते हुए कि मृतक को दिनांक 07.01.2025 से विगत तीन सप्ताह से शवगृह में रखा गया है तथा मृतक को यथाशीघ्र व ससम्मान अंतिम संस्कार प्रदान करने हेतु, हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी करने हेतु सम्मत हैं:

(i) अपीलार्थी अपने मृतक पिता का अंतिम संस्कार करेगा तथा उन्हें करकापाल ग्राम स्थित कब्रिस्तान में दफनाएगा।

(ii) उत्तरवादी-राज्य तथा उसके स्थानीय प्राधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यदि अपीलार्थी चाहे तो मृतक के शव को जगदलपुर स्थित चिकित्सा महाविद्यालय के शवगृह से करकापाल ग्राम स्थित ईसाई कब्रिस्तान में स्थानांतरित करने के लिए अपीलार्थी तथा उसके परिवार को सभी प्रकार की सहायता प्रदान की जाए।

(iii) इस संबंध में पर्याप्त पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए।

(iv) उत्तरवादी-राज्य तथा उसके प्राधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि मृतक पिता का अंतिम संस्कार अविलंब किया जाए।

4. इस पीठ द्वारा जारी किए गए उपरोक्त निर्देश वर्तमान प्रकरण के विशिष्ट तथ्यों व परिस्थितियों पर विचार करते हुए तथा न्यायिक प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए एवं अपीलार्थी तथा उसके परिवार की दुर्दशा और पीड़ा को कम करने के लिए हैं।

उपरोक्त शर्तों सहित अपील का निपटान किया जाता है।

.....न्यायमूर्ति
(बी.वी. नागरत्ना)
.....न्यायमूर्ति
(सतीश चंद्र शर्मा)

नई दिल्ली;

27 जनवरी, 2025

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।